

न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क0-634 / 2016

संस्थित दिनांक-08.09.2016

F.N.-3010052016

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी  
केन्द्र गढ़ी जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

**!! विरुद्ध !!**

बलीराम परते पिता सुखलाल परते, उम्र-28 साल,  
निवासी ग्राम छिन्दीटोला खजरा थाना गढ़ी  
तहसील बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....आरोपी

**!! निर्णय !!**

( आज दिनांक 05/05/2018 को घोषित किया गया )

01. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 26.08.2016 को ग्राम छिन्दीटोला थाना गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत सोनसिंह यादव के घर के सामने फरियादी जोधनसिंह की एक साईकिल उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से फरियादी के आधिपत्य से हटाकर चोरी करने, इस प्रकार धारा-379 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि फरियादी जोधनसिंह ने भांजे सुखराम धुर्वे के नाम से दिनांक 10.08.2016 को राजेन्द्र सोनी एण्ड ब्रदर्स सायकिल स्टोर्स गढ़ी से हीरो जेट गोल्ड साईकिल फ्रेम नंबर ए.434731 को क़य किया था। घटना दिनांक 26.08.2016 को जोधनसिंह उक्त सायकिल को लेकर छिन्दीटोला में सोनसिंह के यहाँ पर गया था। फरियादी सायकिल को सोनसिंह के घर के बाहर रखकर घर के अंदर चला

गया। कुछ देर बाद जब फरियादी निकला तब कोई अज्ञात व्यक्ति सायकिल को चोरी कर ले गया था। फरियादी ने सायकिल की आस-पास में तलाश की, नहीं मिलने पर थाना गढ़ी में घटना की रिपोर्ट किया, जिससे थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 84/16 अंतर्गत धारा-379 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार किया गया, साक्षियों का कथन लेखबद्ध किया गया, आरोपी का मेमोरेन्डम कथन लेखबद्ध किया गया एवं मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपी से सायकिल जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04.** आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05.** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है कि—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 26.08.2016 को ग्राम छिन्दीटोला थाना गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत सोनसिंह यादव के घर के सामने फरियादी जोधनसिंह की एक साईकिल उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से फरियादी के आधिपत्य से हटाकर चोरी किया ?

**:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01**

**06.** जोधनसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि घटना लगभग दो माह पूर्व की है। उसके भांजे सुखराम ने उसे सायकिल दी थी। घटना दिनांक को शाम 5:00 बजे वह सायकिल लेकर सोनसिंह के घर गया था। सायकिल को उसने सोनसिंह के घर के बाहर खड़ी कर दिया था, जब घर से बाहर निकला तो वहाँ

उसकी सायकिल नहीं थी। उसने सायकिल की आस-पास तलाश किया। 5-6 दिन तलाश करने के बाद पता नहीं चलने पर उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना गढ़ी में की थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि अपनी सायकिल गलती से भूल गया था। इस प्रकार फरियादी ने सायकिल चोरी की घटना का समर्थन किया है।

**07.** गोथरसिंह अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में दिन के ढाई बजे ग्राम छिंदीटोला की है। वह अपने खेत में बैल चरा रहा था, तब जोधनसिंह ने उसे अपनी सायकिल के बारे में पूछा था। जोधनसिंह ने उसे बताया था कि उसकी सायकिल को कोई चुराकर ले गया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी जोधनसिंह की सायकिल चोरी होने के बारे में बताया है।

**08.** फरियादी जोधनसिंह द्वारा दर्ज कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का समर्थन करते हुए चैनसिंह धुर्वे अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 31.08.2016 को फरियादी जोधनसिंह थाना गढ़ी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की थी कि दिनांक 26.08.2016 को करीब 2:00 बजे फरियादी अपने भांजे की सायकिल लेकर छिंदीटोला सोहनसिंह के यहाँ गया था। सायकिल को घर के बाहर खड़ी करके घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बार घर से बाहर निकलने पर सायकिल को कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था, तब उसने फरियादी के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के कोरे कागज में उसने फरियादी से हस्ताक्षर करा लिया था। इस प्रकार फरियादी द्वारा दर्ज कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि भी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक चैनसिंह अ.सा.06 के कथनों से होता है तथा साक्षी अशोक चौधरी अ.सा.03 ने बताया है कि

विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। नक्शा मौका प्र.पी.02 के अनुसार घटनास्थल सोनसिंह यादव के घर के सामने की है, जिससे भी सोनसिंह यादव के घर के सामने से फरियादी की सायकिल चोरी होने की घटना प्रमाणित होती है।

**09.** अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या घटनास्थल पर किसी साक्षी ने आरोपी को सायकिल चोरी करते हुए देखा है। जोधनसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि उसे बाद में पता चला कि सायकिल आरोपी बलीराम परते ने चोरी करने के बाद परसाटोला में गिरवी रख दिया था, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा सायकिल गिरवी रखे जाने की बात नहीं बताई थी। यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को सायकिल ले जाते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी को चोरी करते हुए नहीं देखा है। गोथरसिंह अ.सा.02 ने बताया है कि जोधनसिंह ने उसे कहा कि बलीराम ने उसकी सायकिल चोरी करके ले गया है, किन्तु स्वयं जोधनसिंह ने आरोपी को चोरी करते हुए नहीं देखना बताया है तथा गोथरसिंह ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को सायकिल ले जाते हुए नहीं देखा था। चैनसिंह अ.सा.06 ने बताया है कि उसने फरियादी जोधनसिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पंजीबद्ध किया था। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध है तथा आरोपी को मौके पर चोरी करते हुए देखे जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

**10.** अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा दिये गये मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपी से फरियादी की चुराई गई संपत्ति सायकिल जप्त किया गया था। अशोक चौधरी अ.सा.03 ने यह बताया है कि थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 84/16 धारा-379 भा.द.वि. की विवेचना के

दौरान उसने फरियादी जोधनसिंह, साक्षी गोथरसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। जोधनसिंह एवं गोथरसिंह ने चोरी की घटना की पुष्टि की है, किन्तु उक्त दोनों साक्षियों ने मौके पर आरोपी को चोरी करते हुए देखने के बारे में नहीं बताया है।

11. अशोक चौधरी अ.सा.03 ने बताया है कि विवेचना के दौरान उसने आरोपी बलीराम का मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.04 लेखबद्ध किया था। मेमोरेन्डम प्र.पी.04 के अनुसार आरोपी ने सायकिल अपने घर की छपरी में छिपाकर रखने की जानकारी दिया था, किन्तु मेमोरेन्डम के स्वतंत्र साक्षी अनिल अ.सा.04 ने यह बताया है कि उसके समक्ष आरोपी ने पुलिस को मेमोरेन्डम कथन नहीं दिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी ने पुलिस को सायकिल अपने घर की छपरी में छिपाकर रखने की जानकारी दिया था। मेमोरेन्डम के दूसरे साक्षी सोनसिंह अ.सा.05 ने यह बताया है कि उसके समक्ष आरोपी ने पुलिस को मेमोरेन्डम कथन नहीं दिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी ने पुलिस को सायकिल अपने घर की छपरी में छिपाकर रखने की जानकारी दिया था। इस प्रकार मेमोरेन्डम के दोनों स्वतंत्र साक्षी पूर्णतः पक्षद्रोही हैं।

12. अशोक चौधरी अ.सा.03 ने यह बताया है कि विवेचना के दौरान उसने साक्षी अनिल एवं सोनसिंह के समक्ष आरोपी के द्वारा घर की छपरी से हीरो सायकिल फ्रेम नंबर ए.434731 निकालकर पेश करने पर सायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था। जप्ती के साक्षी अनिल अ.सा.04 ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से सायकिल जप्त नहीं किया था। पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी द्वारा घर की छपरी से हीरो सायकिल लाकर पेश करने पर पुलिस ने



उसके समक्ष आरोपी से सायकिल जप्त की थी। जप्ती के दूसरे साक्षी सोनसिंह अ.सा.05 ने यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से सायकिल जप्त नहीं किया था। पक्षद्रोही घोषित कराये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी द्वारा घर की छपरी से हीरो सायकिल लाकर पेश करने पर पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से सायकिल जप्त की थी। इस प्रकार जप्ती के दोनों स्वतंत्र साक्षी अनिल एवं सोनसिंह पूर्णतः पक्षद्रोही हैं तथा अपने समक्ष आरोपी से पुलिस द्वारा सायकिल जप्त किये जाने की घटना से इंकार किया है।

**13.** अशोक चौधरी अ.सा.03 ने यह भी बताया है कि उसने साक्षी अनिल एवं सोनसिंह के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, किन्तु साक्षी अनिल अ.सा.04 एवं सोनसिंह अ.सा.05 ने आरोपी की गिरफ्तारी अपने समक्ष किये जाने से भी इंकार किये हैं।

**14.** अशोक चौधरी अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि नक्शा मौका प्र.पी.02 उसने थाने में तैयार किया था, जबकि साक्षी जोधनसिंह अ.सा.01 ने यह बताया है कि नक्शा मौका प्र.पी.02 पर उसने हस्ताक्षर थाने में किया था। अशोक चौधरी अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने साक्षी अनिल एवं सोनसिंह के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। इससे भी इंकार किया है कि कार्यवाही किये जाते समय अनिल एवं सोनसिंह उपस्थित नहीं थे तथा इससे भी इंकार किया है कि उसने मेमोरेन्डम एवं जप्ती की संपूर्ण कार्यवाही थाने में की थी, किन्तु मेमोरेन्डम एवं जप्ती के साक्षी अनिल अ.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। उसने दस्तावेजों पर थाना गढ़ी में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था तथा साक्षी सोनसिंह अ.सा.05 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। उसने दस्तावेजों

पर थाना गढ़ी में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार जप्ती एवं मेमोरेन्डम के दोनों स्वतंत्र साक्षी पूर्णतः पक्षद्रोही हैं। संपूर्ण कार्यवाही के दस्तावेज में थाना गढ़ी में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करना बताये हैं। प्रकरण में आरोपी को चोरी करते हुए देखने के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। फलतः उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है एवं जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो वहाँ संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. बनाम सुनील जैन, 2007(3) म.प्र.लॉ.ज.372 म.प्र. अवलोकनीय है।

15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 26.08.2016 को ग्राम छिन्दीटोला थाना गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत सोनसिंह यादव के घर के सामने फरियादी जोधनसिंह की एक साईकिल उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से फरियादी के आधिपत्य से हटाकर चोरी कारित किया। फलतः आरोपी बलीराम को धारा-379 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

16. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किया जाता है।

17. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी दिनांक 01.09.2016 से 08.09.2016 एवं दिनांक 28.04.2016 से निर्णय दिनांक 05.05.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति हीरो जेट गोल्ड सायकिल फ्रेम

नंबर ए.434731 सुपुर्ददार सुखराम धुर्वे पिता मेहताबसिंह धुर्वे, उम्र-36 वर्ष निवासी ग्राम खजरा थाना गढ़ी जिला बालाघाट की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर सुपुर्दगीदार के पक्ष में उन्मोचित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। “मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही/—  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट म.प्र.

सही/—  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट म.प्र.